

## न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 210/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00311)

1. गोरधन पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर निवासी टोरडा तहसील रामगढ पंचवारा जिला दौसा राजस्थान।

– अपीलान्त

### बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, रामगढ पंचवारा, जिला दौसा राजस्थान।

– रेस्पोंडेन्ट्स

अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरुद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा निर्णय दिनांक 18.02.2020 अपील संख्या 62/2019 अनुवानी गोरधन बनाम सरकार व निर्णय नायब तहसीलदार रामगढ पंचवारा दिनांक 27.09.2019 प्रकरण अनुवानी सरकार बनाम गोरधन मु० न० 223/2019 में पारित किये गये हैं।

### उपस्थित—

1. श्री सतीश पारीक, वकील अपीलान्त
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पों. नं. 1 की ओर से।

### निर्णय

दिनांक –30.09.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 18.02.2020 एवं नायब तहसीलदार रामगढ पंचवारा के निर्णय दिनांक 27.09.2019 के विरुद्ध पेश की गई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रामगढ पंचवारा जिला दौसा ने निर्णय दिनांक 27.09.2019 को वाके ग्राम सलेमपुरा तहसील रामगढ पंचवारा में स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 529/337 रकबा 3 बीघा (0.75 है०) भूमि पर अतिक्रमण मानकर अपीलान्त को 90 दिवस के सिविल कारावास, बेदखली एवं 50 गुना पेनल्टी के दण्ड से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्त ने उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के यहां पेश की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2020 द्वारा खारिज कर दी गयी।
3. नायब तहसीलदार रामगढ पंचवारा जिला दौसा के निर्णय दिनांक 27.09.2019 तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 18.02.2020 से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय नायब तहसीलदार रामगढ पंचवारा जिला दौसा दिनांक 27.09.2019 तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा दिनांक 18.02.2020 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्त के योग्य अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील भीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रामगढ पंचवारा ने बिना कोई जांच किये, बिना अपीलान्त को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना व बिना कोई स्वतंत्र साक्ष्य लिए बिना पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानकर अपीलान्त की पीठ पीछे निर्णय पारित किया था। जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने खारिज करने में कानूनी

गलती की है। अपीलान्त के विरुद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमण प्रमाणित हुये बिना ही तथा अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये बिना व बिना पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये सजा जैसा कठोरतम निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। जिसे विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने खारिज करने में कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा ने बिना कोई जांच किये, अपीलांत को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना व कोई स्वतंत्र साक्ष्य लिए बिना पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानकर अपीलांत को पीठ पीछे निर्णय पारित किया था। जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने खारिज करने में कानूनी गलती की है। अपीलांत के विरुद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमण का कोई रिकार्ड भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं था। पश्चातवर्ती अतिक्रमण प्रमाणित हुये बिना ही तथा अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये बिना व बिना पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना सजा जैसा कठोरतम निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने खारिज करने में कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा के समक्ष दिनांक 27.09.2019 को अपीलान्त पत्रावली में आवाज पडने पर हाजिर हुआ था तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत के आर्डरशीट पर हस्ताक्षर कर कहा कि जाओ और कब्जा किया हो तो छोड़ देना तथा इसके बाद अपीलान्त की पीठ पीछे अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने खारिज करने में कानूनी गलती की है। अतः अपील अपीलान्त प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्त स्वीकार कर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 18.02.2020 अपील संख्या 62/2019 व निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा दिनांक 27.09.2019 प्रकरण अनुवानी सरकार बनाम गोर्धन मु0नं0 223/2019 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोंडेन्ट नं. 1 राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांत ने संवत् 2076 में ग्राम टोरडा तहसील रामगढ पचवारा में स्थित सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 529/337 रकबा 3 बीघा (0.75) है0 पर बाजरे की फसल काशत कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 27.09.2019 को बेदखल करने एवं 50 गुना पेनल्टी शास्ति आरोपित करने के साथ ही तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त नियमित अतिचारी है। अपीलांत अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्त में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।
7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पटवारी हल्का सलेमपुरा तहसील रामगढ पचवारा द्वारा ग्राम टोरडा तहसील रामगढ पचवारा में स्थित राजकीय सिवायचक भूमि आराजी खसरा नं. 529/337 रकबा 3 बीघा (0.75) है0 पर बाजरे की फसल की फसल काशत किये जाने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने पर अतिक्रमी रामबाबू पुत्र रामसहाय जाति गुर्जर निवासी टोरडा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत रिपोर्ट तैयार कर तहत अदालत के समक्ष पेश की गयी। दिनांक 27.09.2019 को अपीलान्त को अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने एवं शास्ती आरोपित करने के साथ ही तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास से दण्डित करने का आलोच्य

आदेश पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी के विरुद्ध धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी कर दिनांक 27.09.2019 को तलब किया गया। अपीलान्त को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं जिरह का अवसर दिया गया। अतिक्रमी स्वयं उपस्थित हुआ। अपीलान्त द्वारा उपस्थित होने पर अतिचार करने का जवाब पेश नहीं करने पर अपीलान्त के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है, जबकि कानून राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। अपीलान्त द्वारा उक्त राजकीय सिवायचक भूमि पर संवत् 2075 के समय भी अतिक्रमण किया था। जिसे बेदखल करने के पश्चात् पुनः राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे वह पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। ऐसे में राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति को रोकने एवं अकुशं लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2020 को यथावत रखा जाता है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त  
( डॉ. प्रवीण कुमार )  
अति. सम्भागीय आयुक्त,  
जयपुर

निर्णय दिनांक 30.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त  
अति. सम्भागीय आयुक्त,  
जयपुर